भारत सरकार
कारपोरेट कार्य मंत्रालय

राज्य सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या 821
(जिसका उत्तर मंगलवार, 9 फरवरी, 2021 को दिया गया)

कंपनी अधिनियम, 2013 में संशोधन

821. श्री सतीश चंद्र दुबेः

क्या **कारपोरेट कार्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने कंपनी अधिनियम, 2013 में कोई संशोधन किया है, और कोविड-19 के कारण उत्पन्न खतरे को ध्यान में रखते हुए इसके अंतर्गत कौन-कौन से कानून बनाए गए हैं; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर

वित्त और कारपोरेट कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अनुराग सिंह ठाकुर)

(क) और (ख): मंत्रालय ने कंपनी अधिनियम, 2013 तथा इसके अंतर्गत बनाए गए नियमों में संशोधन करके और समय-समय पर विभिन्न परिपत्र जारी करके कोविड-19 महामारी से उत्पन्न समस्या के समाधान के लिए विभिन्न उपाय किए हैं। मंत्रालय द्वारा किए गए ऐसे उपायों का ब्यौरा अनुबंध में दिया गया है।

*****

अनुबंध

दिनांक 09.02.2021 को उत्तरार्थ राज्य सभा अतारांकित प्रश्न संख्या 821 के उत्तर में संदर्भित अनुबंध

(i) माननीय राष्ट्रपति द्वारा दिनांक 28 सितंबर, 2020 को सहमति दिए जाने पर कंपनी अधिनियम, 2013 में कंपनी (संशोधन) अधिनियम, 2020 (सीएए-2020) के माध्यम से संशोधन किया गया है। सीएए-2020 का मुख्य उद्देश्य कंपनी अधिनियम, 2013 के तहत आने वाले अपराधों को अपराध मुक्त करना है ताकि व्यवसाय करने में सुगमता हो सके और जीवनशैली आसान हो सके। सीएए-2020 के अधिनियमित होने के पश्चात, सीएए-2020 में विअपराधीकरण से संबंधित 44 उपबंध तथा सुगमतापूर्वक व्यवसाय करने से संबंधित 12 उपबंध क्रमश: 21 दिसंबर, 2020 तथा 22 जनवरी, 2021 से प्रवृत्त हो गए हैं। सीएए-2020 के माध्यम से प्रस्तावित संशोधन से देश के ईमानदार धन सृजकों को व्यापक सुगमता एवं सर्वाधिक सम्मान प्रदान करने और न्यायिक प्रणाली पर बोझ को कम करने संबंधी सरकार के संकल्प के बारे में भारतीय कारपोरेटों के बीच अधिक से अधिक विश्वास को बढ़ाना है।

(ii) कंपनीज फ्रेश स्टार्ट स्कीम, 2020 का आरंभ कंपनियों को दिनांक 01 अप्रैल से 31 दिसंबर, 2020 तक किन्हीं अतिरिक्त शुल्कों के बिना एमसीए21 रजिस्ट्री में विलंबित दस्तावेजों को फाइल करने की अनुमति देते हुए एक पूर्णतया अनुपालक कंपनी बनने के लिए एक नए सिरे से शुरूआत करने के उद्देश्य से किया गया था। उक्त योजना से शास्ति के आरोपण से संबंधित कार्यवाहियों एवं अभियोजनों से भी प्रतिरक्षा प्राप्त हुई है जो कि दस्तावेजों को इस तरह से विलंब से फाइल करने की वजह से उत्पन्न हो सकती थी।

(iii) कारपोरेट कार्य मंत्रालय ने एलएलपी निपटान योजना, 2020 की शुरूआत की ताकि चूककर्ता सीमित दायित्व भागीदारी (एलएलपी) के लिए अतिरिक्त शुल्क में एकबारगी छूट प्रदान की जा सके जिससे कंपनी रजिस्ट्रार ('आरओसी' या 'रजिस्ट्रार') के पास लंबित दस्तावेजों को फाइल करके उनकी चूकों में सुधार किया जा सके और व्यवसाय उद्यमों में आने वाली कठिनाइयो को दूर किया जा सके। उक्त योजना एलएलपी द्वारा कतिपय फाइलिंग के लिए प्रारंभत: 16.03.2020 से 31.03.2020 तक की अवधि के लिए विस्तारित कर दी गई थी। तथापि, कोविड-19 महामारी की वजह से उक्त संशोधित योजना आगे 01.04.2020 से 31.12.2020 तक सभी ई-फार्मों को कवर करने के लिए विस्तारित कर दी गई। उक्त योजना के तहत चूककर्ता एलएलपी को विलंबित दस्तावेजों को फाइल करने की अनुमति दी गई थी और ऐसी चूकों के लिए एलएलपी पर अभियोजन की कार्रवाई नहीं की जाएगी।

(iv) कोविड-19 के मद्देनजर तथा कानून का पालन करने वाली कंपनियों को राहत प्रदान करने के लिए, 01 मार्च से 31 दिसंबर, 2020 तक की अवधि के दौरान कंपनी अधिनियम, 2013 के तहत प्रभारों के सृजन अथवा उनमें आशोधन से संबंधित फार्मों को फाइल करने के लिए समय सीमा में छूट प्रदान करने के लिए एक योजना आरंभ की गई थी।

(V) कारपोरेट कार्य मंत्रालय ने कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 252 के तहत 01 दिसंबर, 2020 से 31 दिसंबर, 2020 के बीच एनसीएलटी द्वारा पुनःस्थापित कंपनियों के लिए विलंब की माफी संबंधी योजना की घोषणा की। इस योजना में रजिस्ट्रार के पास फार्मों को फाइल करने में होने वाले विलंब को माफ करने तथा अतिरिक्त शुल्कों के भुगतान को छोड़ दिए जाने का प्रावधान है। यह योजना 01 फरवरी, 2021 से प्रारंभ होगी और दिनांक 31 मार्च, 2021 तक ऐसी कंपनियों द्वारा पुराने लंबित किन्हीं ई-फार्मों की फाइलिंग के लिए उपलब्ध होगी।

(vi) कोविड-19 महामारी के मद्देनजर कंपनियों को राहत प्रदान करने के उद्देश्य से, कंपनियों को बैठकों में पूर्व में पारित किए जाने हेतु अपेक्षित मामलों के संदर्भ में संकल्पों को पारित करने के लिए वीडियों कांफ्रेस (वीसी) या अन्य दृश्य श्रव्य माध्यमों के जरिए बोर्ड की बैठकें आयोजित करने की अनुमति दी गई है जिसमें कोविड-19 महामारी के दौरान समय-समय पर कंपनी (बोर्ड की बैठकें और इसकी शक्तियां) नियम, 2014 में संशोधन करते हुए निदेशकों की वास्तविक उपस्थिति अपेक्षित थी। कंपनियों को ऐसी सुविधा की अनुमति 30 जून, 2021 तक प्रदान की गई है (प्रारंभत: यह 30.06.2020 तक थी बाद में इसे 30.09.2020 तक और 31.12.2020 तक बढा दिया गया)।

(vii) कंपनियों को यह अनुमति दी गई है कि वे दिनांक 30 जून, 2021 तक पंजीकृत ई-मेलों के माध्यम से ई-वोटिंग सुविधा/सरलीकृत वोटिंग सुविधा के साथ वीडियों कांफ्रेसिंग (वीसी) या अन्य श्रव्य दृश्य माध्यमों (ओएवीएम) के जरिए असाधारण आम बैठकें (ईजीएम) आयोजित करें।

(viii) कंपनियों को यह अनुमति दी गई है कि वे वर्ष 2020 में निर्धारित अथवा वर्ष 2021 में आयोजित किए जाने हेतु प्रस्तावित अपनी वार्षिक आम बैठकें वीडियों कांफ्रेसिंग (वीसी) या अन्य श्रव्य दृश्य माध्यम (ओएवीएम) से 31.12.2021 को या इससे पहले आयोजित करे। वित्तीय विवरणों की वास्तविक प्रतियां भेजने में होने वाली कठिनाइयों

के कारण कंपनियों को यह भी अनुमति दी जाती है कि वे बोर्ड की रिपोर्टों सहित वित्तीय विवरणों, लेखापरीक्षा रिपोर्टों तथा अन्य दस्तावेजों, जो उनके साथ संलग्न किए जाने हेतु अपेक्षित हों, सिर्फ मेल के माध्यम से भेजें।

(ix) कंपनी रजिस्ट्रार को मंत्रालय की सलाह पर 31 मार्च, 2020 को समाप्त होने वाले वित्तीय वर्ष के लिए वार्षिक आम बैठकें 31 दिसंबर,2020 तक आयोजित करने की समयावधि में छूट प्रदान की गई थी (जो अधिनियम की धारा 96 के तहत कंपनी रजिस्ट्रार के द्वारा विस्तारित की जा सकने वाली अधिकतम अवधि थी)।

(x) कंपनी (लेखापरीक्षक की रिपोर्ट) आदेश, 2020 को वित्त वर्ष 2021-22 के लिए वित्तीय विवरणों की लेखापरीक्षा से अब लागू कर दिया गया है ताकि लेखापरीक्षकों और कंपनियों को आसानी हो।

(xi) कंपनी अधिनियम, 2013 (सीए-13) की धारा 173 में उपबंधित अंतराल की अवधि (120 दिनों) के भीतर कंपनी बोर्ड की बैठकों को आयोजित करने की अनिवार्य अपेक्षा अगली दो तिमाहियों अर्थात् 30 सितंबर, 2020 तक 60 दिनों की अवधि तक विस्तारित कर दी गई थी। तद्नुसार, एकबारगी छूट के रूप में बोर्ड की दो सतत बैठकों के बीच अंतराल सीए-13 में यथा अपेक्षित 120 दिनों के स्थान पर 180 दिनों अगली दो तिमाहियों तक के लिए बढा दी गई थी।

(xii) कंपनी के स्वतंत्र निदेशकों को कम से कम एक अनिवार्य बैठक आयोजित करने से छूट प्रदान कर दी गई है। तद्नुसार, वित्त वर्ष 2019-20 के दौरान यदि किसी कंपनी के स्वतंत्र निदेशक द्वारा ऐसी बैठक आयोजित नहीं की जा सकी है, तो इसे उल्लंघन के रूप में नहीं माना गया है।

(xiii) मंत्रालय ने यह अवधि 01 दिसंबर, 2019 से तेरह महीने तक विस्तारित कर दी जिसके अंतर्गत मौजूदा स्वतंत्र निदेशक कंपनी (निदेशकों की नियुक्ति एवं अर्हता) नियमावली, 2014 में समय-समय पर संशोधनों के तहत स्वतंत्र निदेशकों के लिए डाटा बैंक में अपने नाम को शामिल करने हेतु ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं।

(xiv) सीए-13 की धारा 73(2)(ग) के तहत 20% आरक्षित जमा पुनर्भुगतान और कंपनी (शेयरपूंजी और डिबेंचर) नियमावली, 2014 के नियम 18 के तहत डिबेंचरों की 15% राशि निवेशित अथवा जमा करने की समयसीमा बढाकर 31 दिसंबर, 2020 कर दी गई थी।

(xv) नई निगमित कंपनियों द्वारा व्यापार शुरू करने संबंधी घोषणा फाइल करने की अनुपालना की अनुमति 180 दिनों की अतिरिक्त अवधि के साथ बढा दी गई है।

(xvi) सीए-13 की धारा 149 के तहत प्रत्येक कंपनी के कम से कम एक निदेशक द्वारा कम से कम 182 दिनों की अवधि के लिए भारत में प्रवास की न्यूनतम अवधि की अननुपालना को वित्तीय वर्ष 2019-20 और 2020-21 के लिए गैर-अनुपालना के रूप में नहीं माना जाएगा।

(xvii) 31 दिसंबर, 2020 तक सूचीबद्ध कंपनियों द्वारा पंजीकृत डाक अथवा स्पीड पोस्ट अथवा कोरियर के जरिए अपने शेयरधारकों को राइट इश्यू के लिए नोटिस जारी करने संबंधी असमर्थता को अधिनियम की धारा 62(2) के उल्लंघन के रूप में नहीं माना जाएगा, बशर्ते कि ये कंपनियां 06 मई, 2020 और 24 जुलाई, 2020 के सेबी के परिपत्रों की अनुपालना कर रही हैं जिनमें अन्य बातों के साथ-साथ सूचीबद्ध कंपनियों द्वारा इलेक्ट्रानिक अंतरण के तहत नोटिस के निर्गमन की पद्धति/तरीके का भी प्रावधान किया गया हो।

(xviii) विनिर्दिष्ट दायरे में वर्ष विशेष के दौरान डिबेंचर परिपक्व होने संबंधी राशि के 15% हिस्से को निवेश करने की आवश्यकता सूचीबद्ध कंपनियों और एनबीएफसी के लिए उस स्थिति में समाप्त कर दी गई है जब ऐसे डिबेंचरों को निजी नियोजन आधार पर जारी किया जाता।

(xix) कोविड-19 के कारण उत्पन्न अवरोध के दौरान उत्पन्न कठिनाइयों को दृष्टिगत रखते हुए एनएफआरए में एनएफआरए-2 प्ररूप को फाइल करने के लिए लेखापरीक्षकों और लेखापरीक्षा फर्मों को दिए गए समय की सीमा बढाकर कुल 270 दिन कर दी गई है।

(xx) केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों (सीएपीएफ) और केंद्रीय अर्धसैनिक बलों (सीपीएमएफ) के सेनानियों और उनके आश्रितों सहित विधवाओं के संबंध में किए गए कार्यकलापों पर कंपनियों द्वारा किए गए खर्च को सीएसआर खर्च माना गया है।

(xxi) लागत लेखापरीक्षक द्वारा कंपनी के प्रबंधन को लागत लेखापरीक्षक रिपोर्ट प्रस्तुत करने की आखिरी तारीख बढाकर 31 दिसंबर, 2020 कर दी गई है और वित्तीय वर्ष 2019-20 के लिए सीआरए-4 को फाइल करने (लागत लेखापरीक्षा रिपोर्ट को फाइल करने संबंधी प्ररूप) के लिए अतिरिक्त शुल्क में छूट दी गई है।

*****